(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 85/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली,27 अक्टूबर 2021

जी.एस.आर. . .. (अ).____ सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52') की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड एतद्द्वारा कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में आगे संशोधन करने के लिए विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। - (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण), संशोधन, विनियम, 2021 कहा जा सकता है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में,-
(1) विनियमन 10 में, -

(i.) उप-विनियमों (2), (5) और (8) का लोप किया जाएगा;

(ii.) उपविनियम (9) में शब्दों “10 वर्ष की समाप्ति के पहले” को लोप किया जाएगा।

2. विनियम 10 के बाद निम्नलिखित विनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**10क पंजीकरण की वापसी**- (1) अधिकृत कूरियर लिखित आवेदन के माध्यम से प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क जिसने पंजीकरण प्रदान किया है, जैसा भी मामला हो, को पंजीकरण वापस कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण रद्द कर सकता है यदि,-

(क) प्राधिकृत कूरियर ने अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत केंद्र सरकार को देय सभी देय राशि का भुगतान किया है: और

(ख) अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत अधिकृत कूरियर के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

10ख. पंजीकरण की वैधता.- (1) एक पंजीकरण तब तक वैध होगा जब तक कि इन विनियमों के तहत रद्द न किया जाए।

(2) उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई अधिकृत कूरियर एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पाया जाता है, तो पंजीकरण एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पहले दिन से अवैध माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'निष्क्रिय' अभिव्यक्ति एक ऐसे अधिकृत कूरियर को संदर्भित करता है जिसने एक वर्ष की निरंतर अवधि के दौरान सीमाशुल्क से संबंधित किसी भी व्यवसाय का लेनदेन न किया हो, उस अवधि को छोड़कर जिसके लिए विनियमन 14 के तहत पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है और इस कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन, विनियम, 2021 के लागू होने की तारीख से पहली बार एक वर्ष की निरंतर अवधि की गणना की जाएगी।

(3) डीम्ड इनवैलिडेशन के पहले दिन से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, अधिकृत कूरियर पंद्रह हजार रुपये के शुल्क के साथ फॉर्म K में, प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जिन्होंने पंजीकरण प्रदान किया है, जैसा भी मामला हो, को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन जमा कर सकता है

(4) विनियम 10 के अधीन और एक महीने के भीतर फॉर्म K में आवेदन की प्राप्ति के साथ पंद्रह हजार रुपये के शुल्क के साथ प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत करेगा, वह इस बात से संतुष्ट होते हुए कि अधिकृत कूरियर का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, जिसमें कदाचार की कोई शिकायत नहीं है, जिसमें विनियम 12 में निर्दिष्ट किसी भी दायित्व का अनुपालन में कोई भी चूक शामिल न हो और विनियम 10 के तहत पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदक अन्यथा पात्र है, पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं;"

(3) फॉर्म J के बाद, निम्नलिखित फॉर्म को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"फॉर्म - K"

[विनियम 10ख देखें]

सेवा में

प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क,

....(पता)

विषय: कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2010 के तहत अधिकृत कूरियर के अमान्य पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन ।

महोदय/महोदया,

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2010 के तहत एक वर्ष से अधिक की निष्क्रियता के कारण अमान्य हो गया है, अर्थात् :-

1. अधिकृत कूरियर का नाम और पूरा पता:
2. सीमाशुल्क स्टेशन का नाम जहां पंजीकृत है:
3. पंजीकरण संख्या और तिथि:
   (पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)
4. अमान्यकरण तिथि:
5. पंजीकरण की वैधता के दौरान अधिकृत कूरियर के रूप में स्वीकृत माल की मात्रा और मूल्य:
6. क्या आवेदक ने सीमाशुल्क अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को देय सभी देय राशि का भुगतान किया है? (हाँ/नही)
7. क्या विनियम 11 के तहत निष्पादित बॉण्ड और प्रतिभूति अभी भी वैध हैं? (हां/नहीं):
8. क्या प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स, कंपनी के निदेशकों या अन्य श्रेणी के मामले में प्रभारी व्यक्तियों के नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन) में कोई बदलाव है, जैसा भी मामला हो? (हाँ/नही):
9. यदि हां, तो उसका विवरण:
10. क्या पंजीकरण आवेदन (फॉर्म-I) के साथ पहले जमा किए गए किसी अन्य विवरण में कोई बदलाव हुआ है? (हाँ/नही):
11. यदि हां, तो उसका विवरण:
12. नवीनीकरण का कारण:
13. क्या आवेदक या उसके द्वारा नियोजित या नियोजित होने के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के तहत दण्डित किया गया है, दोषी ठहराया गया है या मुकदमा चलाया गया है? (हां/नहीं):

14. यदि हां, तो उसका विवरण:
15. घोषणा:

मैं/हम निम्नलिखित घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं/हैं, अर्थात् :-

(i) मैं/हम घोषणा करते हैं कि यहां दिए गए सभी विवरण सत्य और सही हैं।
(ii) मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2010 पढ़ लिया/पढ़ लिये हैं और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।
(iii) मैं/हम उपरोक्त आवेदन में प्रदान की गई जानकारी के संबंध में किसी भी परिवर्तन को तीस दिनों की अवधि के भीतर सूचित करने का वचन देते हैं।

आवेदक (आवेदकों) या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नाम

संलग्नक: पंजीकरण की प्रति

दिनांक: ....
स्थान: ....

[फा. नं. 451/22/2020-सीमाशुल्क V]

(कोमिला पुनिया)
उपसचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 मई, 2010 को सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 5 मई, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 115/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 808(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।